


<p>तारीख हुक्म</p>	<p style="text-align: center;">FORM No. III फर्द अहकाम (नियम 15) हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज</p> <p style="text-align: center;">शैलेन्द्रसिंह <u>बनाम</u> लोक सूचना अधिकारी एवं (अति०जिला कलक्टर धौ०) प्रथम अपील, (मु०संख्या 38 / 2022) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न० 2022 / 65)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये</p>
<p>20.10.2022</p>	<p>अपीलान्ट उपस्थित नहीं। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक: प्रथम अपील/आरटीआई 2022/561 दिनांक 12.10.2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रेषित कर निम्न बिन्दु की सूचना चाही गई थी :-</p> <p>बिन्दु- जनवरी 2019 से आदिनांक तक जिला कलक्टर द्वारा जारी किए शस्त्र अनुज्ञापत्रों की डिटेल् सूची उपलब्ध कराएँ जाने बावत।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु पत्र क्रमांक/संपर्क/सूचना अधि./2022/415 दिनांक 10.08.2022 द्वारा सूचना प्रभारी अधिकारी आर्म्स अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर से चाही गई। प्रभारी अधिकारी आर्म्स अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर ने अपने पत्रांक प.16(12)न्याय/आरटीआई/2022/2474-81दिनांक 26.08.2022 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना तृतीय पक्ष से संबन्धित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1)से(4) के अन्तर्गत तृतीय पक्ष की सूचना बिना उसकी अनुमति के नहीं दी जा सकती। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</p>	

की धारा 8(1)(छ) के अन्तर्गत सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा तथा धारा 8(3)(जे) के अन्तर्गत सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना से किसी व्यक्ति की सुरक्षा एवं गोपनीयता भंग हो सकती है अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर एवं प्रभारी अधिकारी आर्म्स एवं न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना जारी शस्त्र अनुज्ञापत्रों से सम्बंधित है, जो आवेदकों को उनकी सुरक्षा के मध्य नजर जारी किये जाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 8(1)(छ) में यह स्पष्ट किया है कि सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा। ऐसी सूचना दिये जाने के लिए बाध्यता नहीं है। सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1)से(4) के अन्तर्गत तृतीय पक्ष की सूचना बिना उसकी अनुमति के नहीं दी जा सकती। इस प्रकार अपीलान्त को उक्त सूचना दिया जाना नियमान्तर्गत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्त की प्रथम अपील खारिज की जाती है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। निर्णय की प्रति अपीलान्त को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।


(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, धौलपुर